मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल

विषय :– राज्य स्तरीय मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की अठाहरवीं बैठक, दिनांक 26.09.2012 का कार्यवाही विवरण।

———

मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की अठाहरवीं बैठक दिनांक 26.09.2012 को अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संलग्न परिशिष्ट–1 अनुसार समिति के सदस्य एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार चर्चा हुई एवं निर्णय लिये गयेः–

1. **एजेण्डा क्रमांक–1** समिति की सत्रहवीं बैठक दिनांक 09.07.2012 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

2. **एजेण्डा क्रमांक–2** सदस्य सचिव द्वारा समिति की सत्रहवीं बैठक दिनांक 09.07.2012 का पालन प्रतिवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति निम्न जानकारी से अवगत हुई–

   (अ) मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना–2004 के अंतर्गत उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् पंजीयन हेतु विलंब से किये गये आवेदन एवं विलंब के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार समिति द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इकाई के पक्ष में पंजीयन जारी किये जाने की जानकारी दी गई।

   (ब) बैठक में स्वीकृत 10 क्लेम प्रकरणों में राशि वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने की जानकारी दी गई।

3. **एजेण्डा क्रमांक–3 :** इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात योजनांतर्गत पंजीयन हेतु विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने पर विलंब को शिथिल करने पर विचार करने के संबंध में एजेण्डा में तीन प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में लिये गये निर्णय इस प्रकार हैं –

   मेसर्स के.एस.ऑईल लि., जिला रतलाम – इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलंब से किये गये आवेदन एवं विलंब के संबंध में शपथ–पत्र पर प्रस्तुत जानकारी के अनुसार समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई के पक्ष में योजनान्तर्गत जारी पंजीयन में रिफाइनरी को सम्मिलित किया जावे, परन्तु इकाई को रिफायनरी पर सुविधा का लाभ रिफायनरी हेतु पंजीयन के लिए प्राप्त आवेदन के दिनांक 16.06.2010 से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना के इकाई के मूल उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक 24.10.2009 से की जावेगी।

मेसर्स के.एस.ऑईल लि., जिला गुना – इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलंब से किये गये आवेदन एवं विलंब के संबंध में शपथ–पत्र पर प्रस्तुत जानकारी के अनुसार समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई के पक्ष में योजनान्तर्गत जारी पंजीयन में रिफाइनरी को सम्मिलित किया जावे, परन्तु इकाई को रिफायनरी पर सुविधा का लाभ रिफायनरी के लिये पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक 19.01.2010 से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना मूल उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक 11.05.2009 से की जावेगी।

मेसर्स एस.डी. बंसल आयरन एंड स्टील, मण्डीदीप, जिला रायसेन – इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलंब से किये गये आवेदन एवं विलंब के संबंध में शपथ–पत्र पर प्रस्तुत जानकारी के अनुसार समिति द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई के पक्ष में योजनान्तर्गत जारी पंजीयन में एम.एस.इनगॉट्स को सम्मिलित किया जावे, परन्तु इकाई को एम.एस.इनगॉट्स पर सुविधा का लाभ एम.एस. इनगॉट्स के लिये पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक 24.05.2012 से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना मूल उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक 07.06.2009 से की जावेगी।

4. **एजेण्डा क्रमांक–4 : मेसर्स मैहर सीमेन्ट, मैहर, जिला सतना** – इकाई का वर्ष 2006–07 का प्रथम क्लेम प्रकरण समिति की बैठक दिनांक 10.05.2011एवं 25.02.2011 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा इकाई के विस्तार परियोजना अंतर्गत स्थायी मदों में किये गये पूंजी निवेश (रू. 10855.52 लाख) में कैप्टिव पावर प्लाण्ट पर किया गया पूंजी निवेश (रू. 5494.90 लाख) सम्मिलित किया जा सकेगा अथवा नहीं, के संबंध में शीर्ष स्तरीय निवेश सवंर्धन साधिकार समिति के आदेश प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया था।

राज्य स्तरीय समिति के उपरोक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में प्रकरण में शीर्ष स्तरीय निवेश सवंर्धन साधिकार समिति की बैठक 09.07.2012 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

"कंपनी की विषयांकित विस्तार परियोजना को शीर्ष समिति की बैठक दिनांक 18.01.2006 में विचारोपरांत सुविधाओं का पैकेज स्वीकृत किया गया था। पैकेज अन्तर्गत कंपनी की प्रस्तावित विस्तार परियोजना, जिसमें कैप्टिव पॉवर संयंत्र सम्मिलित हैं, को नीति अनुरूप प्रवेश कर से मुक्ति प्रदान की गई थी। उल्लेखित निर्णय के अनुक्रम में विस्तार परियोजना को शीर्ष स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति की बैठक दिनांक 01.12.2009 में 05 वर्ष हेतु प्रवेश कर से छूट की सुविधा स्वीकृत की गई है।

शीर्ष समिति की बैठक दिनांक 18.01.2006 में विस्तार परियोजना को उद्योग निवेश संवर्धन सहायता का लाभ देने के संबंध में कोई निर्णय उल्लेखित न होने के कारण परियोजना को उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना का लाभ देने के लिए प्रकरण पर

शीर्ष समिति द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजनान्तर्गत उत्पादन दिनांक से 3 वर्ष पूर्व एवं 3 वर्ष पश्चात् तक किए गए निवेश को सुविधा के परिप्रेक्ष्य में गणना हेतु मान्य किया जावे। चूंकि कैप्टिव पॉवर संयंत्र से उत्पादित विद्युत में से 38 प्रतिशत विद्युत का उपयोग मूल परियोजना के लिए किया जा रहा है एवं शेष 62 प्रतिशत विद्युत का उपयोग विस्तार परियोजना के लिए किया जा रहा है, अतः कैप्टिव पॉवर संयंत्र में किए गए निवेश राशि रूपये 5494.90 लाख में से 62 प्रतिशत राशि रू.3406.83 लाख को ही विस्तार परियोजना के परिप्रेक्ष्य में गणना हेतु मान्य कर परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति 2004 के प्रावधान अनुसार उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना का लाभ प्रदान किया जावे। "

शीर्ष स्तरीय निवेश सवंर्धन साधिकार समिति द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इकाई के वर्ष 2006–07 के क्लेम प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि इकाई के विरूद्ध वर्ष 2009–10 के अवधि हेतु वेट रूपये 6,36,296.00, केन्द्रीय विक्रय कर रूपये 56,53,658.00 तथा प्रवेश कर रूपये 4,28,76,173.00 की देयताएँ शेष हैं, जिसके विरूद्ध कोई स्थगन प्राप्त नहीं किया गया है। योजना की कंडिका–8.18 के अनुक्रम में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा बकाया के निराकरण तक प्रकरण लंबित रखे जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना की कंडिका–8.13 के अनुसार स्वीकृत राशि इकाई विशेष के वाणिज्यिक कर खाता में जमा करने हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी को बैंकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से किये जाने तथा कंडिका 8.17 के अनुसार इकाई विशेष के खाते में जमा की गई राशि आगामी वर्षों के देय कर राशि में समायोजित करने का प्रावधान है।

इकाई का विचाराधीन प्रथम क्लेम प्रकरण वर्ष 2006–07 का है तथा वाणिज्यिक कर विभाग के अनुसार इकाई की उपरोक्तानुसार वैट, केन्द्रीय विक्रय कर तथा प्रवेश कर की देयता वर्ष 2009–10 की हैं। समिति को अवगत कराया गया कि इकाई के पक्ष में उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रवेश कर छूट हेतु पात्रता प्रमाणपत्र क्रमांक 15/FA(7)/07/37 दिनांक 08.04.2010 को जारी किये जाने से प्रवेश कर की देयता स्वतः समाप्त हो जानी चाहिए। तत्पश्चात् इकाई की वैट एवं केन्द्रीय विक्रय कर की कुल राशि रूपये 62,89,954.00 की देयता शेष रहेगी जो कि इकाई के इस क्लेम के निराकरण के साथ समाप्त हो जावेगी। इकाई के पक्ष में स्वीकृत उद्योग निवेश संवर्धन सहायता राशि इकाई के खाते में वाणिज्यिक कर विभाग को प्राप्त होती है जिसे इकाई की कर देयता से समायोजित किया जाता है, जो कि अंततः इकाई एवं शासन दोनों के हित में है।

म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक एफ–20–31/05/बी/ग्यारह दिनांक 02.03.2006 अनुसार शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति द्वारा उद्योग निवेश संवर्धन सहायता हेतु इकाई की पात्रता अवधि 7 वर्ष निर्धारित की गई है। शीर्ष स्तरीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप विस्तार अन्तर्गत इकाई का

स्थायी पूंजी निवेश रू. 8767.45 लाख, पात्रता अवधि 7 वर्ष (01.01.2007 से 31.12.2013) एवं पात्रता 75 प्रतिशत मान्य करते हुये इकाई द्वारा वर्ष 2006–07 में कुल चुकाये गये कर रूपये 1,08,26,293.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात रूपये 81,19,719.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

5. <u>एजेण्डा क्रमांक–5 : मेसर्स रूचि स्ट्रिप्स एंड एलॉयज लि., सेजवाया, जिला धार –</u> समिति की बैठक दिनांक 11.05.2011 में विस्तार अन्तर्गत वर्ष 2009–10 हेतु इकाई के पक्ष में रू. 1,27,32,458.00 उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की जा चुकी है।

तत्पश्चात् सहायता राशि वितरित किये जाने के पूर्व इकाई द्वारा यह अवगत कराते हुए कि इकाई मेसर्स आर.एस.ए.एल प्रा.लि. को विक्रय की जा चुकी है, सहायता राशि क्रेता इकाई पक्ष में वितरित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। क्रेता इकाई को सहायता राशि वितरित किये जाने के पूर्व प्रकरण समिति की बैठक दिनांक 16.11.2011 को समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था जिस पर समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सुविधा अवधि के दौरान इकाई का विक्रय हो जाने से विक्रय किये गये इकाई की पात्रता पर कोई विपरीत प्रभाव तो नही पड़ेगा, के संबंध में योजना के प्रावधानों के अनुसार परीक्षण कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

उपरोक्तानुसार समिति द्वारा लिये गये निर्णय के पालन में महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, धार से विस्तृत स्थिति चाही गई थी। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, धार द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2261–62 दिनांक 06.07.2012 से निम्नानुसार जानकारी से अवगत कराया गया है कि :–

1. इकाई की परिसम्पत्तियाँ नवीन इकाई को हस्तांतरित की जा चुकी है।
2. विक्रय के फलस्वरूप स्थाई परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण नवीन इकाई के पक्ष मे किये जाने हेतु पंजीकृत अनुबंध किया जा चुका है।
3. इकाई का विक्रय कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं शेयर होल्डर्स की अनुमति से हुआ है।
4. इकाई का विक्रय समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों के साथ हुआ है।
5. इकाई को वित्तीय वर्ष 2008 में हुये घाटे की पूर्ति तथा इकाई के विस्तार एवं तकनीकी उन्नयन हेतु वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता होने से इकाई का विक्रय किया गया ।
6. इकाई के पक्ष में जारी प्रवेश कर मुक्ति की पात्रता प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन की कार्यवाही उद्योग संचालनालय भोपाल स्तर पर प्रक्रियाधीन है। अतः उक्त स्थिति में इकाई को प्राप्त होने वाली सुविधा पर विपरीत प्रभाव उचित प्रतीत नहीं होता है।
7. इकाई मेसर्स आर.एस.ए.एल प्रा.लि. इकाई की भारत में कोई दूसरी इकाई नहीं है।

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, धार द्वारा इकाई के पक्ष में प्रस्तुत तथ्यों तथा क्रेता एवं विक्रेता इकाई के मध्य विक्रय हेतु किये गये पंजीकृत अनुबंध में उल्लेखित शर्तों के आधार पर समिति द्वारा विचारोपरांत क्रेता इकाई के पक्ष में स्वीकृत सहायता राशि रू. 1,27,32,458.00 वितरित किये जाने हेतु निर्णय लिया गया।

6. **एजेण्डा क्रमांक–6 : मेसर्स रूचि सोया, दालोदा जिला मंदसौर –** समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई का क्लेम है। वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि इकाई द्वारा निर्मित उत्पादों पर देय कर के विरूद्ध, आयटीआर के समायोजन उपरांत रूपये 51,93,000.00 कर का भुगतान किया गया है। इकाई द्वारा कच्चा माल सोयाबीन की खरीदी समय टीडीएस रूपये 3,93,84,834.00 का कटौत्रा किया गया है। किया गया भुगतान टीडीएस की राशि से कम होने के कारण इकाई को निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता नहीं आती है।

उपरोक्त संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि सोयाबीन के प्रसंस्करण की संस्था The Soyabean Processors Association of India द्वारा दिनांक 22.09.2012 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत अभ्यावेदन के निराकरण तक प्रकरण लंबित रखा जाये।

7. **एजेण्डा क्रमांक–7 :मेसर्स धानुका एक्सट्रेक्शन प्रा. लि., नीमच जिला नीमच –** समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2010–11 हेतु इकाई का क्लेम है। वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि इकाई द्वारा निर्मित उत्पादों पर देय कर के विरूद्ध, आईटीआर के समायोजन उपरांत रूपये 2,76,77,595.00 कर का भुगतान किया गया है। इकाई द्वारा कच्चा माल सोयाबीन की खरीदी समय टीडीएस रूपये 5,08,52,792. 00का कटौत्रा किया गया है। किया गया भुगतान टीडीएस की राशि से कम होने के कारण इकाई को निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता नहीं आती है।

उपरोक्त संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि सोयाबीन के प्रसंस्करण की संस्था The Soyabean Processors Association of India द्वारा दिनांक 22.09.2012 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत अभ्यावेदन के निराकरण तक प्रकरण लंबित रखा जाये।

8. **एजेण्डा क्रमांक–8 : मेसर्स बंसल एक्सट्रेक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रा. लि., मण्डीदीप जिला रायसेन –** समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2010–11 हेतु इकाई का क्लेम है। वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि इकाई द्वारा निर्मित उत्पादों पर देय कर 56,22,526.00 के विरूद्ध, आयटीआर रूपये 26,32,813.00के समायोजन उपरांत रूपये 29,89,713.00 कर का भुगतान किया गया है। इकाई द्वारा कच्चा माल सोयाबीन की खरीदी समय टीडीएस रूपये 39,39,572.00का कटौत्रा किया गया है। किया गया भुगतान टीडीएस की राशि से कम होने के कारण इकाई को निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता नहीं आती है।

उपरोक्त संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि सोयाबीन के प्रसंस्करण की संस्था The Soyabean Processors Association of India द्वारा दिनांक 22.09.2012 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत अभ्यावेदन के निराकरण तक प्रकरण लंबित रखा जाये।

9. **एजेण्डा क्रमांक–9 : मेसर्स ट्राईडेन्ट लि.(पूर्व नाम मेसर्स अभिषेक इंडस्ट्रीज लि.), बुधनी जिला सीहोर –** समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई का क्लेम है। वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि इकाई द्वारा निर्मित उत्पादों पर देय कर 59,35,600.00 का भुगतान किया गया है। इकाई द्वारा कच्चा माल कपास की खरीदी समय टीडीएस रूपये 2,81,66,000.00का कटौत्रा किया गया है। किया गया भुगतान टीडीएस की राशि से कम होने के कारण इकाई को निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता नहीं आती है।

उपरोक्त संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि इकाई द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत अभ्यावेदन के निराकरण तक प्रकरण लंबित रखा जाये।

10. **एजेण्डा क्रमांक–10 : मेसर्स ट्राईडेन्ट लि.(पूर्व नाम मेसर्स अभिषेक इंडस्ट्रीज लि.), बुधनी जिला सीहोर** समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2010–11 हेतु इकाई का क्लेम है। वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि इकाई द्वारा निर्मित उत्पादों पर देय कर 519,35,000.00कर का भुगतान किया गया है। इकाई द्वारा कच्चा माल कपास की खरीदी समय टीडीएस रूपये 9,08,26,000.00का कटौत्रा किया गया है। किया गया भुगतान टीडीएस की राशि से कम होने के कारण इकाई को निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता नहीं आती है।

उपरोक्त संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि इकाई द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत अभ्यावेदन के निराकरण तक प्रकरण लंबित रखा जाये।

11. **एजेण्डा क्रमांक–11 : मेसर्स इंडियन सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड यूनिट–2, इन्दौर –** समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई का क्लेम है। वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि इकाई द्वारा निर्मित उत्पादों पर देय कर के विरूद्ध, आयटीआर के समायोजन उपरांत रूपये 1,42,33,220.00 कर का भुगतान किया गया है। इकाई द्वारा कच्चा माल सोयाबीन की खरीदी समय टीडीएस रूपये 3,36,00,362.00का कटौत्रा किया गया है। किया गया भुगतान टीडीएस की राशि से कम होने के कारण इकाई को निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता नहीं आती है।

उपरोक्त संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि सोयाबीन के प्रसंस्करण की संस्था The Soyabean Processors Association of India द्वारा दिनांक 22.09.2012 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत अभ्यावेदन के निराकरण तक प्रकरण लंबित रखा जाये।

12. **एजेण्डा क्रमांक–12 : मेसर्स भास्कर व्यंकटेश प्रॉडक्ट प्रा. लि., भोपाल –** समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2008–09 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय वर्ष के लिए प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा विचारोपरांत, संक्षेपिका में अनुशंसित किये गये अनुसार इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 313.08 लाख तथा योजनान्तर्गत इकाई की पात्रता 50

प्रतिशत एवं सुविधा अवधि दिनांक 04.02.2008 से 03.02.2011 मान्य करते हुए, पंजीयन प्रकरण में लिये गये निर्णयानुसार वास्तविक सुविधा की प्रभावशीलता दिनांक 23.06.2008 से 03.02.2011 तक रखते हुये इकाई द्वारा वर्ष 2008–09 की अवधि के लिए कुल चुकाये गये कर रू. 99,10,773.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 49,55,387.00निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

13. **एजेण्डा क्रमांक–13 : मेसर्स पोरवाल ऑटो कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड, पीथमपुर जिला धार –** समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम प्रकरण है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1547.21 लाख तथा पात्रता 75 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि दिनांक 02.02.2008 से 01.02.2018 तक मान्य की जा चुकी है। समिति द्वारा विचारोपरांत वर्ष 2009–10 में इकाई द्वारा कुल चुकाये गये कर रू. 36,42,734.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू.27,32,050.00निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

14. **एजेण्डा क्रमांक–14 : मेसर्स त्रिमुला इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिंगरौली** – समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय क्लेम प्रकरण है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 3504.77 लाख तथा पात्रता 75 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि दिनांक 07.07.2007 से 06.07.2017 तक मान्य की जा चुकी है। समिति द्वारा विचारोपरांत वर्ष 2009–10 में इकाई द्वारा कुल चुकाये गये कर रू. 70,90,086.00(कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू.53,17,565.00निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

15. **एजेण्डा क्रमांक–15 : मेसर्स जेपी सीधी सीमेन्ट प्लांट (यूनिट ऑफ जयप्रकाश एसोसिएट्स लि.), जे.पी. विहार, जिला सीधी –**

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई का उत्पादन दिनांक 01.03.2009 है। द्वितीय वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि इकाई के विरूद्ध वर्ष 2009–10 के अवधि हेतु वेट रू. 5,02,313.00 तथा प्रवेश कर रू 8,77,62,680.00 की देयताएँ शेष हैं, जिसके विरूद्ध कोई स्थगन प्राप्त नहीं किया गया है। योजना की कंडिका–8.18 के अनुक्रम में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा बकाया के निराकरण तक प्रकरण लंबित रखे जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना की कंडिका–8.13 के अनुसार स्वीकृत राशि इकाई विशेष के वाणिज्यिक कर खाता में जमा करने हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी को

बैंकर्स चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से किये जाने तथा कंडिका 8.17 के अनुसार इकाई विशेष के खाते में जमा की गई राशि आगामी वर्षों के देय कर राशि में समायोजित करने का प्रावधान है।

समिति को अवगत कराया गया कि इकाई के पक्ष में उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रवेश कर छूट हेतु पात्रता प्रमाणपत्र क्रमांक 25 / एफए(7) / 09 / 57 दि. 19.10.2010 को जारी किये जाने से प्रवेश कर की देयता स्वतः समाप्त हो जानी चाहिए। तत्पश्चात् इकाई की वैट की देयता रू. 5,02,313.00 शेष रहेगी जो कि इकाई के इस क्लेम के निराकरण के साथ समाप्त हो जावेगी। इकाई के पक्ष में स्वीकृत उद्योग निवेश संवर्धन सहायता राशि इकाई के खाते में वाणिज्यिक कर विभाग को प्राप्त होती है जिसे इकाई की कर देयता से समायोजित किया जा सकता है, जो कि अंततः इकाई एवं शासन दोनों के हित में है।

समिति द्वारा विचारोपरांत संक्षेपिका में प्रस्तावित किये गये अनुसार इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 76,300.00 लाख तथा पात्रता अवधि दिनांक 01.03.2009 से दिनांक 28.02. 2019 तक 10 वर्ष एवं पात्रता का प्रतिशत 75 प्रतिशत मान्य करते हुये इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में विस्तार अन्तर्गत चुकाये गये कुल कर रू. 9,01,92,707.00(कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात रू. 6,76,44,530.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

16. <u>एजेण्डा क्रमांक–16 : मेसर्स जेपी रीवा प्लांट (यूनिट ऑफ जयप्रकाश एसोसिएट्स लि.), जे. पी. नगर, जिला रीवा –</u>

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई का उत्पादन दिनांक 01.10.2005 है। द्वितीय वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि इकाई के विरूद्ध वर्ष 2009–10 के अवधि हेतु वेट रू. 25,05,292.00 तथा प्रवेश कर रू 74,47,005.00 की देयताएँ शेष हैं, जिसके विरूद्ध कोई स्थगन प्राप्त नहीं किया गया है। योजना की कंडिका–8.18 के अनुक्रम में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा बकाया के निराकरण तक प्रकरण लंबित रखे जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना की कंडिका–8.13 के अनुसार स्वीकृत राशि इकाई विशेष के वाणिज्यिक कर खाता में जमा करने हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी को बैंकर्स चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से किये जाने तथा कंडिका 8.17 के अनुसार इकाई विशेष के खाते में जमा की गई राशि आगामी वर्षों के देय कर राशि में समायोजित करने का प्रावधान है।

समिति को अवगत कराया गया कि इकाई के पक्ष में उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रवेश कर छूट हेतु पात्रता प्रमाणपत्र क्रमांक 05 / FA(7) / 06 / 39 दिनांक 03.05.2010 को जारी किये जाने से प्रवेश कर की देयता स्वतः समाप्त हो जानी चाहिए। तत्पश्चात्

इकाई की वैट की देयता रू. 25,05,292.00 शेष रहेगी जो कि इकाई के इस क्लेम के निराकरण के साथ समाप्त हो सकेगी। इकाई के पक्ष में स्वीकृत उद्योग निवेश संवर्धन सहायता राशि इकाई के खाते में वाणिज्यिक कर विभाग को प्राप्त होती है जिसे इकाई की कर देयता से समायोजित किया जा सकता है, जो कि अंततः इकाई एवं शासन दोनों के हित में है।

प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 13,459.72 लाख, पात्रता 75 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.10.2005 से 30.09.2015 तक मान्य की जा चुकी है। समिति द्वारा विचारोपरांत, संक्षेपिका में अनुशंसित किये गये अनुसार इकाई द्वारा वर्ष 2006–07 में विस्तार अन्तर्गत कुल चुकाये गये कर रू. 54,10,774.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 40,58,080.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

17. <u>एजेण्डा क्रमांक–17 : मेसर्स महाकाली फूडस प्रा. लि. (यूनिट क्र–2), देवास, जिला देवास–</u> समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2009–10 हेतु यह इकाई का प्रथम क्लेम है। वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि इकाई द्वारा निर्मित उत्पादों पर देय कर के विरूद्ध, आयटीआर के समायोजन उपरांत रूपये 1,93,40,186.00 कर का भुगतान किया गया है। इकाई द्वारा कच्चा माल सोयाबीन की खरीदी समय टीडीएस रूपये 4,16,67,603.00का कटौत्रा किया गया है। किया गया भुगतान टीडीएस की राशि से कम होने के कारण इकाई को निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता नहीं आती है।

उपरोक्त संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि सोयाबीन के प्रसंस्करण की संस्था The Soyabean Processors Association of India द्वारा दिनांक 22.09.2012 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत अभ्यावेदन के निराकरण तक प्रकरण लंबित रखा जाये।

18. <u>एजेण्डा क्रमांक–18 : मेसर्स कपारो इंजीनियरिंग इंडिया प्रा. लि., पीथमपुर, जिला धार</u> – समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2007–08 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा विचारोपरांत, संक्षेपिका में अनुशंसित किये गये अनुसार इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू.1902.51 लाख, पात्रता 75 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि दिनांक 24.05.2007 से 23.05.2017 (10 वर्ष) मान्य करते हुए इकाई द्वारा वर्ष 2006–07 में इकाई द्वारा कुल चुकाये गये कर रू. 26,96,338.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू.20,22,254.00निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

19. <u>एजेण्डा क्रमांक–19 : मेसर्स कपारो इंजीनियरिंग इंडिया प्रा. लि., पीथमपुर, जिला धार</u> – समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2008–09 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम प्रकरण है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान स्थायी पूंजी निवेश रू.1902.51 लाख, पात्रता 75 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि दिनांक 24.05.2007 से 23.05.2017 (10 वर्ष) मान्य

की जा चुकी है। समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई द्वारा वर्ष 2008–09 में कुल चुकाये गये कर रू. 53,60,329.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू.40,20,247.00निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

20. <u>एजेण्डा क्रमांक–20 : मेसर्स कपारो इंजीनियरिंग इंडिया प्रा. लि., पीथमपुर, जिला धार</u> समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय क्लेम प्रकरण है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान स्थायी पूंजी निवेश रू.1902.51 लाख, पात्रता 75 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि दिनांक 24.05.2007 से 23.05.2017 (10 वर्ष) मान्य की जा चुकी है। समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में कुल चुकाये गये कर रू. 64,77,400.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 48,58,050.00निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

21. <u>मेसर्स सूर्या रोशनी लि.(हाईमास्ट डिवीजन) औद्योगिक क्षेत्र, मालनपुर जिला भिण्ड–</u> समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2010–11हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय वर्ष के लिए प्रथम क्लेम है। प्रथम वर्ष में इकाई द्वारा निर्मित माल के विक्रय न करने के कारण क्लेम निरंक रहा है। समिति द्वारा विचारोपरांत, संक्षेपिका में अनुशंसित किये गये अनुसार इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 4994.66 लाख, पात्रता 75 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि दिनांक 28.03.2010 से 27.03.2020 (10 वर्ष) तक मान्य करते हुये इकाई द्वारा डायवर्सिफिकेशन अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में कुल चुकाये गये कर रू.91,18,012.00(कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू.68,38,509.00निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

22. <u>मेसर्स अनिक इण्डस्ट्रीज लि. औद्योगिक क्षेत्र, गोविंदपुरा भोपाल–</u> समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2008–09 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय वर्ष के लिए प्रथम क्लेम है। इकाई का प्रथम क्लेम निरंक है। समिति द्वारा विचारोपरांत, संक्षेपिका में अनुशंसित किये गये अनुसार इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 325.40 लाख, पात्रता 50 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि दिनांक 28.03.2008 से 27.03.2011 (3 वर्ष) तक मान्य करते हुये इकाई द्वारा वर्ष 2008–09 में कुल चुकाये गये कर रू.5,58,763.00(कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू.2,79,381.00निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

23. <u>मेसर्स श्री तिरूपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि. औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर जिला धार–</u> समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2007–08 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा विचारोपरांत, संक्षेपिका में अनुशंसित किये गये अनुसार इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 361.79 लाख, पात्रता 50 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि 01.03.2008

से 28.02.2013 (5 वर्ष) मान्य करते हुए इकाई द्वारा वर्ष 2007–08 में कुल चुकाये गये कर रू. 1,61,152.00(कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 80,576.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

24. <u>मेसर्स श्री तिरूपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि. औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर जिला धार–</u>

समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2008–09 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम प्रकरण है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश 361.79 लाख, पात्रता 50 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि 01.03.2008 से 28.02.2013 (5 वर्ष) मान्य की जा चुकी है। समिति द्वारा विचारोपरांत, संक्षेपिका में अनुशंसित किये गये अनुसार इकाई द्वारा वर्ष 2008–09 में कुल चुकाये गये कर रू. 4,49,269.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 2,24,635.00निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

25. <u>मेसर्स कृष्णा आईल्स एण्ड प्रोटीन्स प्रा.लि. उज्जैन–</u> समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2008–09 हेतु इकाई का क्लेम है। वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई द्वारा निर्मित उत्पादों पर देय कर के विरूद्ध, आयटीआर के समायोजन उपरांत रूपये 15,31,915.00 कर का भुगतान किया गया है। इकाई द्वारा कच्चा माल सोयाबीन की खरीदी समय टीडीएस रूपये 1,39,42,002.00का कटौत्रा किया गया है। किया गया भुगतान टीडीएस की राशि से कम होने के कारण इकाई को निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता नहीं आती है।

उपरोक्त संबंध में समिति को अवगत कराया गया कि सोयाबीन के प्रसंस्करण की संस्था The Soyabean Processors Association of India द्वारा दिनांक 22.09.2012 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत अभ्यावेदन के निराकरण तक प्रकरण लंबित रखा जाये।

26. <u>मेसर्स डिलाइट डेयरी लि. जिला देवास–</u> समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय क्लेम प्रकरण है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 474.21 लाख तथा पात्रता 50 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि 15.09.2007 से 14.09.2012 (5 वर्ष) मान्य की जा चुकी है। समिति द्वारा विचारोपरांत, इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में कुल चुकाये गये कर रू. 99,30,565.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 49,65,283.00निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

27. <u>मेसर्स कमिंस टेक्नॉलॉजीज इण्डिया लि. (पूर्व नाम टाटा होलसेट लि.) जिला देवास–</u> समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2008–09 हेतु इकाई से प्राप्त यह चतुर्थ क्लेम है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 2237.96 लाख तथा पात्रता 75 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि 15.01.2006 से 14.01.2011 (5 वर्ष) मान्य की जा चुकी है। समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई द्वारा वर्ष 2008–09 में कुल चुकाये गये कर रू.1,02,74,271.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू.77,05,703.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

28. <u>मेसर्स पिनाकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड सेक्टर–1 पीथमपुर जिला धार–</u> समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2006–07 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 454.04 लाख, पात्रता 50 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि 04.02.2006 से 03.02.2011 (5 वर्ष) मान्य की जा चुकी है। समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई द्वारा वर्ष 2006–07 में कुल चुकाये गये कर रू.64,78,138.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू.32,39,069.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

29. <u>मेसर्स पिनाकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड सेक्टर–1 पीथमपुर जिला धार–</u> समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2007–08 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय क्लेम है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 454.04 लाख तथा पात्रता 50 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि 04.02.2006 से 03.02.2011 (5 वर्ष) मान्य की जा चुकी है। समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई द्वारा वर्ष 2007–08 में कुल चुकाये गये कर रू. 59,83,099.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 29,91,550.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

30. <u>मेसर्स पिनाकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड सेक्टर–1 पीथमपुर जिला धार–</u> समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2008–09 हेतु इकाई से प्राप्त यह चतुर्थ क्लेम है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 454.04 लाख, पात्रता 50 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि 04.02.2006 से 03.02.2011 (5 वर्ष) मान्य की जा चुकी है। समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई द्वारा वर्ष 2008–09 में कुल चुकाये गये कर रू. 16,13,029.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू.8,06,514.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

31. <u>मेसर्स नर्मदा एक्सट्रुजन लिमिटेड, सेक्टर–1 पीथमपुर जिला धार–</u> समिति द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह चतुर्थ क्लेम प्रकरण है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 597.50 लाख,

पात्रता 50 प्रतिशत एवं सुविधा अवधि 30.09.2006 से 29.09.2011 (5 वर्ष) मान्य की जा चुकी है। समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में कुल चुकाये गये कर रू. 57,08,349.00 (कच्चे माल क्रय पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 28,54,175.00 निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

सभी सदस्यों को धन्यवाद् ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(अरूण कुमार भट्ट)
प्रबंध संचालक
म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एमपीएसआईडीसी एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति

(पी.के. दाश)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति

राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की सत्रहवीं बैठक

दिनांक 26.09.2012 में उपस्थित अधिकारियों की सूची

—————————

क्र.	नाम	पदनाम एवं विभाग
1	श्री पी.के. दाश	अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग एवं अध्यक्ष राज्य स्तरीय समिति
2.	श्री राजेश चतुर्वेदी	उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, सदस्य
3	श्री अरूण कुमार भट्ट	प्रबंध संचालक, एम.पी. ट्रायफेक/एमपी.एस.आई.डी.सी, सदस्य सचिव
4	श्री नीरज मण्डलोई	सचिव, वित्त
5	श्री अमित राठौर	आयुक्त, वाणिज्यिक कर
6	श्री व्ही.किरण गोपाल	महाप्रबंधक, एम.पी. ट्रायफेक
	अन्य उपस्थित अधिकारी	
1	श्री ए.के. मिश्रा	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर
2	श्री सी.एस. धुर्वे	मुख्य महाप्रबंधक, एम.पी. ट्रायफेक